21.03.24 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप। केइस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O-7, R-11 CPC स्वीकार योग्य होने पर स्वीकार किया जाता है तथा वादी का यह मूल वाद पत्र इसी आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील हो कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
R.J.S.

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2024.05.23 10:31:34 IST
Reason: SelfAttested